

48

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

प्रमाणक . आरएए/2024/ 11396

दिनांक:- 30-8-24

वास्ते :-

उपरोक्त अपीलवाली

(II) पत्रावली

राजगके

विषय:-

राजेश कुमार

बनाम

केलाथ

अपील विरुद्ध आज्ञा S.D.O. जयपुर, राजगके

दिनांक 21-2-24

उपरोक्त विषय में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10-7-24 को अपील स्वीकार/अस्वीकार/अदमहाजरी में खारिज होने/ राजीनामा/अबेटमेंट नोट प्रेस करने में/से आदेश 41 नियम 18 जाप्ता के तहत खारिज होने से आपको यहां की पत्रावली की संख्या 54/24 की तारीख फ़ैसला 91-2-24 तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की संख्या व इस न्यायालय के निर्णय की सत्य प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।(संलग्न)

(संलग्न): पत्रावली संख्या

54/24

केलाथ / राजेश

निर्णय प्रति

10-7-24

Neelam
22/8/24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर



स्थाई नववाजा का वाद मय प्राथना पत्र अस्थाई नववाजा प्रस्तुत कर अन्तरिम आदेश दिनांक 21/02/2024 प्राप्त कर लिया, जो विधिक प्रक्रियाओ के परिपेक्ष्य में न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। चूंकि वादग्रस्त आराजीयात का पूर्व में

मिलान किया नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी